[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं- 51/2020- केन्द्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 24 जून, 2020

सा॰ का॰नि॰............ (अ)- सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का 12) (जिसे इसके पश्चात इस अधिसूचना में उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 50 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं॰13/2017- केन्द्रीय कर, दिनांक 28 जून 2017, जिसे सा.का.नि. 661(अ), दिनांक 28 जून 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् -

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुच्छेद में प्रथम परंतुक के स्थान पर निम्नलिखित परंतुक रखा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु उन पंजीकृत व्यक्तियों के वर्ग के लिए, जो की निम्न तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट किए गए हैं और जिनको **प्ररूप जीएसटीआर-3ख** में विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है, लेकिन जो स्तंभ (4) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट कर अवधि की उक्त विवरणी को नियत तारीख तक, देय कर के भुगतान के साथ, प्रस्तुत नहीं करते हैं , देय प्रति वर्ष ब्याज की दर, स्तंभ (3) में तत्स्थानी प्रविष्टि में निर्दिष्ट निम्नलिखित दर हैं:-

तालिका

क्र॰सं॰ (1)	पंजीकृत व्यक्तियों का वर्ग (2)	ब्याज की दर (3)	कर अवधि (4)
1	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये से अधिक हो	नियत तारीख के बाद पहले पंद्रह दिन के लिए शून्य प्रतिशत, उसके बाद 24 जून, 2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020, मार्च, 2020 और अप्रैल, 2020
2	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य स्थान छत्तीसगढ़ राज्य ,मध्य प्रदेश राज्य ,गुजरात राज्य ,महाराष्ट्र राज्य ,कर्नाटक राज्य ,गोवा राज्य , केरल राज्य ,तमिलनाडु राज्य ,तेलंगाना राज्य ,आंध्र प्रदेश राज्य ,दमन और दीव तथा दादर और नागर हवेली संघ राज्यक्षेत्र ,पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्र ,अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र या लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र में है	30 जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	फरवरी, 2020
		3 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9 प्रतिशत	मार्च, 2020
		6जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30	अप्रैल, 2020

		सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	
		12 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	मई, 2020
		23 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	जून, 2020
		27 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	जुलाई, 2020
3	करदाता जिसका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल आवर्त 5 करोड़ रुपये तक हो और जिनका कारबार का मुख्य	30जून, 2020 तक शून्य प्रतिशत,	फरवरी, 2020

	स्थान हिमाचल प्रदेश राज्य ,पंजाब राज्य ,उत्तराखंड राज्य ,हरियाणा राज्य ,राजस्थान राज्य ,उत्तर प्रदेश राज्य ,बिहार राज्य ,सिक्किम राज्य ,अरूणाचल प्रदेश राज्य ,नागालैंड राज्य ,मणिपुर राज्य ,मिजोरम राज्य ,त्रिपुरा राज्य ,मेघालय राज्य ,असम राज्य , पश्चिम बंगाल राज्य ,झारखंड राज्य या ओडिशा राज्य ,जम्मू-कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र ,लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र ,चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र या दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र में है	और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	
		5 जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	मार्च, 2020
		9जुलाई, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	अप्रैल, 2020
		15 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	मई, 2020
		25 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और	जून, 2020

		उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	
		29 सितंबर, 2020 तक शून्य प्रतिशत, और उसके बाद 30 सितंबर,2020 तक 9प्रतिशत	जुलाई, 2020 ।"।

[फा.सं.-सीबीईसी-20/06/09/2019-जीएसटी]

(प्रमोद कुमार)
निदेशक, भारत सरकार

नोट: मूल अधिसूचना सं॰ 13/2017, दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 661 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और पश्चातवर्ती अधिसूचना सं. 31/2020-केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. 231(अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना द्वारा अंतिम संशोधित की गई थी ।